तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/1/21	अधि० अप्रार्थीगण उप०। जवाब प्र० O.6 R.17 CPC पेश कीया। नकल दिलाई/ शामिल करा गया। बहस प्रा०पत्र O.6 R.17 CPC व मूल प्रकरण 251(A) RTA पर सुनी गई जो मुख्तसर तौर से प्रा.पत्र व जवाब के अनुसार रही। प्रार्थीगण ने प्रा०पत्र O.6 R.17 CPC पेश कर निवेदन किया कि ख.नं. 2792, 2786, 2787 वाके ग्राम रोडारामसिंह में आने जाने हेतु ख.नं. 2788 रकबा 2.21 है०, 2789 रकबा 0.05 है० वाके ग्राम रोडारामसिंह में होकर बना हुआ है परन्तु उक्त इनतानी प्रा०पत्र में टाईप की गलती से ख.नं. 2789 रकबा 0.05 है० लिखने से छूट गया अतः न्याय हित में प्रा.पत्र के मद नं. 2 में ख.नं. 2788 रकबा 2.21 है. के साथ ख.नं. 2789 रकबा 0.05 है०, उसी अनुरूप मद नं. 3 में ख.नं. 2788 के बाद ख.नं. 2789 एवं प्रा०पत्र की इस्तदुआ में भी ख.नं. 2788 रकबा 2.21 है० के साथ ख.नं. 2789 रकबा 0.05 है० जोड़ा जाकर संशोधन किया जाना उचित एवं आवश्यक है अतः प्रा०पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्तानुसार संशोधन कर संशोधित प्रा०पत्र पेश करने की इजाजत फरमाई जावे। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रा०पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ख.नं. 2788 में रास्ता मांग की गई है जबकि ख.नं. 2789 रकबा 0.05 है.गै.मु. राह है उसमें से कोई रास्ता की मांग नहीं की गई। उक्त ख.नं. 2789 रकबा 0.05 का विवादमूल भी उत्पन्न नहीं हुआ बिना विवादमूल उक्त प्रा०पत्र में ख.नं. 2789 में रास्ता मांगने की इस्तदुआ नहीं जोड़ी जा सकती। प्रार्थना पत्र 251 A में ख.नं. 2789 में से कोई अनुतोष नहीं मांगा गया उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश करने के बाद महज समय जाया करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है अतः प्रा०पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी	Ruby

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज
	खातेदारी भूमि ख.नं. 2792, 2786, 2787 वाके कस्बा येडा एकसिंह में जानें हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 2788 में से पूर्वी मेर के सहारे 20 फिट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। जिसका जवाब अप्रार्थीगण द्वारा पेश किये जानें के बाद प्रार्थीगण द्वारा अन्त प्रा०पत्र 251A RTA में प्रा०पत्र O.6 R.17 CPC के जरिये संशोधन चाहा गया है। मूल प्रा०पत्र में दिन 10.9.2020 को सिर्फ ख.नं. 2788 के बारे में ही विवाद मूल (cause of action) उत्पन्न होना मूल प्रा०पत्र की मद नं. 5 में अंकित किया है। जिसमें ख.नं. 2789 के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया और अब प्रकरण को महज देरीना करनें की नियत से यह प्रा०पत्र O.6 R.17 CPC पेश किया जाना जाहिर है। प्रकरण में मूल प्रा०पत्र का जवाब पेश होकर मौके की रिपोर्ट प्राप्त होनें के बाद यह संशोधन बाबत प्रा०पत्र पेश किया गया है। चाहे गये संशोधन की इजाजत प्रकरण अंतिम स्टेज पर आ चुका है। इसलिए संशोधन की इजाजत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। लिहाजा प्रा०पत्र O.6 R.17 CPC प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। मूल प्रा० पत्र में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 2792, 2786, 2787 कस्बा येडा एकसिंह में आनें जानें हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 2788 की पूर्वी मेड़ के सहारे 2 बीस फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। अन्य किसी भी खसरा नम्बर में से रास्ता नहीं चाहा गया है। खसरा नम्बर (2792, 2786, 278) में आनें जानें हेतु रास्ता चाहा गया है। जिसका जवाब अप्रार्थीगण द्वारा पेश करनें पर रिपोर्ट मौका प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट में मौके पर जन. स्वा. अभि० विभाग द्वारा बनाई गई डामर सड़क (L.S.T.) रोड से सटा हुआ है। नक्शा सीट के अवलोकन पर

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्पष्ट जाहिर है कि उक्त जन स्वा॰अभि॰ विभाग द्वारा बनाई गई डामरीकृत सड़क व ख॰नं॰ 2788 के बीच ही अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि ख॰नं॰ 2789 रकबा 0.05 हे॰ मु॰ जाह भी मौके पर मौजूद है जिसमें से प्रार्थीगण द्वारा रास्ता चाहे जाने की कोई मांग भी नहीं की गई है, तो उक्त डामरीकृत सड़क से ख॰नं॰ 2788 में प्रार्थीगण कैसे जायेगें, बीच में ख॰नं॰ 2789 की कृषि स्थित है जिसके ~~के~~ बारे में प्रा॰पत्र में कोई उल्लेख भी नहीं है इस प्रकार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की प्लीडिंग्स ही अस्पष्ट है। प्रार्थीगण दूषित हाथों से आये है clean Hand से नहीं आये है। अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण 251 (A) RTA संधारणीय नहीं होने के फल स्वरूप खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म आज दि॰ 13/1/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Ruby	